जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 02.09.2023

आज दिनांक 02.09.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

थाना बखिरा पुलिस द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री अंबरीष सिंह भदौरिया*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0 198/2023 धारा 366 / 376 / 506 भा0द0वि0 के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता संजय कुमार पुत्र इन्द्रजीत निवासी भगवानपुर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.06.2023 को वादी की बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध मे वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 26.06.2023 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 02.09.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, कां0 बालगोविन्द।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3312 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 लोगों को भेजवाया गया अस्पताल**–** पीआरवी 3312 को थाना मेहदावल क्षेत्रान्तर्गत मेहदावल रोड से इवेन्ट संख्या 6801 से कालर द्वारा सूचना दी कि मार्ग दुर्घटना में 02 लोगों (1- पारूल पुत्री विरेन्द्र, 2- अभिनव पुत्र विरेन्द्र निवासीगण कुसमहा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल लोगों को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल लोगों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 विशाल गुप्ता,हो0चा0 अजय त्रिपाठी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 54 वाहनों से 48,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया

आज दिनांक 02.09.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 54 वाहनों से 48,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया।